(देख अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से कलैश प्रसाद यादव, पे0–स्व0 लाल बाबु यादव ग्राम–दक्षिणी रहीमपुर, थाना–खगड़िया, जिला– खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील विविध वाद सं0 $\frac{08}{24}/\frac{09-10}{2013}$ ~~कलैश~~ कैलाश प्रसाद यादव, पे0–स्व0 लाल बाबु यादव, ग्राम–दक्षिणी रहीमपुर, थाना–खगड़िया में कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 74/अनु0आ0, दिनांक 21.02.2009 से नोटिश देकर कारण पृच्छा की गयी कि माह अक्टूबर 2008 से खाद्यान का रकम जमा नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा कारण पृच्छा जमा किया गया। उनका कहना है कि कारण पृच्छा में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि पत्नी की पेट एवं अन्य कई बीमारियाँ तथा परिवारिक परेशानी के कारण अर्थ का अभाव हो गया था। साथ ही राज्य खाद्य निगम में अनाज के भंडार कम रहने के कारण उसका समय आपूर्ति नहीं की जाती थी। उनका कहना है कि गलत प्रक्रिया अपनाकर अपीलार्थी का लाईसेंस रद्द कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाइ गलत कही जाती है और वह रद्द किये जाने योग्य है जैसा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (2) पी0एल0जे0आर0 पृष्ट 784 के निर्णमन में प्रतिस्थापित किया गया है। उनका यह भी कहना है कि अनुज्ञप्ति रद्द करने का कारण अनियमितता लिखते है। जबकि स्वीकारात्मक रूप से खाद्यान्न का उठाव ही नहीं हुआ है तो अनियमितता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करनी चाहिए थी। परंतु ऐसा नहीं कर यांत्रिकरण ढंग से अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित कर दिये। उनका यह भी कहना है कि सरकार का यह स्पष्ट निर्देश है कि 15 दिनों की अवधि देकर ही कारण पृच्छा मांगी जानी चाहिए थी। परंतु मात्र 24 घंटे की नोटिश देकर कारण पृच्छा की मांग की गया। जो नोटिश ही आपने आप में गलत व शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा किया गया सारी कार्रवाइ गलत हो जाती है। जैसा कि उपरोक्त नियमन के अलावा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (3) पी0एल0जे0आर0 513 में नियमन प्रतिस्थापित की गई है। उनके द्वारा यह	

भी कहा गया है कि अनुज्ञप्ति रद्द करने का कारण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनियमितता बतायी गयी है। परंतु खाद्यान्न का उठाव नहीं करना अनियमितता की श्रेणी में नहीं है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश रद्द किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0 126 के0/2007 के रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारीज करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल अभिकथन का अवलोकन किया। उनका कहना है कि बिक्रेता के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये गलत प्रक्रिया अपनाकर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश को निरस्त किया जाय।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 42, दिनांक 20.02.2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कैलाश प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम पंचायत रहीमपुर मध्य खगड़िया द्वारा माह अक्टूबर से खाद्यान्य का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 74/अनु0आ0, दिनांक 21.02.2009 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा स्पष्टीकरण में पारिवारिक कठिनाईयों, अचानक अर्थ का अभाव होने के कारण बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करना बताया गया है। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री कैलाश प्रसाद यादव द्वारा ससमय बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किये जाने के कारण उपावंटित खाद्यान्य व्ययगत हो गया। जिसके कारण दुकान से सम्बद्ध अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 योजना के लाभर्थी सरकार की इस लाभकारी योजना से वंचित रह गये।

उक्त के आलोक में बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों के तहत श्री कैलाश प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम पंचायत रहीमपुर उत्तरी प्रखंड खगड़िया के अनुज्ञप्ति सं0 126 के0/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री कैलाश प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता ग्राम पंचायत रहीमपुर उत्तरी प्रखंड खगड़िया द्वारा माह अक्टूबर 2008 से दिसम्बर 2008 तक के खाद्यान का बैक ड्राफ्ट जमा नहीं कर उपावंटित खाद्यान्न को व्ययगत करा दिया गया जिसके कारण दुकान से सम्बद्ध अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 योजना के लाभार्थी सरकार के इस योजना से वंचित रह

गये। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह कहना कि सरकार के निदेशानुसार स्पष्टीकरण हेतु 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। जब अपीलार्थी द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तो फिर समय की बात कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 2009 (2) पी0एल0जे0आर0 पृष्ट 784 एवं 2009 (3) पी0एल0जे0आर0 513 का प्रश्न है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 97/अनु0आपूर्ति, दिनांक 04.03.2009 से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन तथा अपीलार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री कैलाश प्रसाद यादव द्वारा अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 योजना के लाभार्थी को सरकारी लाभ से वंचित किया गया, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 97/अनु0आपूर्ति, दिनांक 04.03.2009 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया 13/8/17

समाहर्त्ता
खगड़िया। 13/8/17